संख्या-73/2025/आई/1188974/001-23-13-2025-ई-**1996718**

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-13 **लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2025**

विषय- कार्यों पर भारित कर बिटुमिन क्रय हेतु तेल कम्पनियों को किये गये भुगतान के सापेक्ष धनराशि वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि के सोपेक्ष बी0एम0-15 की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-9071बी0जी0/07बी0/आई0ओ0सी0एल0/2025-26, दिनांक 24.11.2025 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में प्रचलित विभिन्न योजनाओं के कार्यों पर भारित कर बिटुमिन क्रय हेतु किये गये भुगतान के समायोजन हेतु आई0ओ0सी0एल0 में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि की मांग के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 25.04.2025 के निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2025 यथासंशोधित दिनांक 14.05.2025 में उल्लिखित निर्देशों के आलोक में पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत अलीगढ क्षेत्र में जनपद एटा में जलेसर-सिकन्द्राराऊ (अ०जि०मा०, लम्बाई-12.600 कि०मी०) के चौडीकरण अर्थात् कुल 01 चालू कार्य हेतु रू0 92.69 लाख (रूपये बानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र) का धनावंटन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-58 के पूंजी लेखा पक्ष अधीन प्राविधानित धनराशि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	क्षेत्र का नाम	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग (रू0 लाख में)
1	अलीगढ़	एटा/निर्माण खण्ड-1, एटा	जलेसर सिकन्दाराऊ मार्ग (अ0जि0मा0, लम्बाई 12.600 कि0मी0) के चौड़ीकरण का कार्य।	92.69

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध</u> -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/ उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के ऑन-लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) दर्शाये गये आवेदन एवं व्यय आदि के सम्बन्ध में यदि पूर्व में प्रेषित सूचना इससे भिन्न पायी जाती है, तो पूर्व में त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(8) मूल प्राविधिक लागत पर 5 प्रतिशत/7.5 प्रतिशत/15 प्रतिशत के व्ययाधिक्य की मांग के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा और इसी कार्य का पुनरीक्षित आगणन नहीं बनाया जायेगा और न ही अतिरिक्त मांग भविष्य में की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 92,69,000 (रुपये बानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371348 पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को दो लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/ चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण चालू कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 73/2025/आई/1188974/001-23-13-2025-ई-1996718, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
(6) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(8) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।

(10) संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।

(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

(12) राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

(13) अधीक्षण अभियंता, नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(14) लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11/12 एवं 14, उत्तर प्रदेश शासन।

(15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।

(16) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।